क्रम-संख्या–158(क–3)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी० / 91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शनिवार, 20 सितम्बर, 2025

भाद्रपद 29, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग–2

संख्या 1701 / ग्यारह-2–25-9(47)-17-टी0सी0-286-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(350)-2025
लखनऊ, 20 सितम्बर, 2025

अधिसूचना

प0आ0–157

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना संख्या क0नि0-2–855 / ग्यारह–9 (47) / 17–उ0प्र0 अधि0-1–2017-आदेश-(22)–2017, दिनांक 30 जून, 2017 में एतद्द्वारा निम्नलिखित अग्रतर संशोधन करते हैं, अर्थात्:–

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 1 के सम्मुख, स्तंभ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि ''9%'' रख दी जायेगी।

2- यह अधिसूचना तारीख 22 सितम्बर, 2025 से प्रवृत्त होगी।

आज्ञा से,
एम0 देवराज,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 1701/XI-2–25-9(47)-17-T.C.-286-U.P. Act-1-2017-Order(350)-2025, dated September 20, 2025 :

No. 1701/XI-2–25-9(47)-17-T.C.-286-U.P. Act-1-2017-Order(350)-2025

Dated Lucknow, September 20, 2025

IN exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017), the Governor, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in the notification no. KA.NI.-2-855/XI-9(47)/17-U.P. Act-1-2017-Order-(22)-2017, dated June 30, 2017, namely:–

AMENDMENT

IN the said notification, in the TABLE, against S.No. 1, for the entry in column (4), the entry "9%" shall be *substituted*.

2. This notification shall come into force on the 22nd day of September, 2025.

By order,

M. DEVARAJ,

Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 185 राजपत्र–2025–(567)–599 प्रतियां (डी0टी0पी0/ऑफसेट)।

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 7 सा0 राज्य कर–2025–(568)–500 +500=1000 प्रतियां (डी0टी0पी0/ऑफसेट)।

185 RPH gst folder (Rajya Kar anu-2) (Order no. 350) 2025 Data 4E